

उत्तर प्रदेश धान क्रय नीति को मिली मंजूरी

By : INVC Team Published On : 3 Oct, 2016 03:56 PM IST



आई एन वी सी न्यूज़ लखनऊ ,

मंत्रिपरिषद ने खरीफ विपणन वर्ष 2016-17 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत 01 अक्टूबर, 2016 से 28 फरवरी, 2017 तक राज्य एवं केन्द्र सरकार की एजेन्सियों के माध्यम से धान क्रय किया जाएगा। कॉमन धान का समर्थन मूल्य 1470 रुपये प्रति कुन्तल तथा ग्रेड-ए धान का समर्थन मूल्य 1510 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। धान खरीद का कार्यकारी लक्ष्य 50 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2016-17 में 10 क्रय एजेन्सियों के 2600 केन्द्र खोले जाएंगे। खाद्य विभाग की विपणन शाखा के क्रय केन्द्रों की संख्या 550 तथा कार्यकारी लक्ष्य 12 लाख मीट्रिक टन होगा। उ०प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम (एफ०एस०सी०) के क्रय केन्द्रों की संख्या 100 तथा कार्यकारी लक्ष्य 03 लाख मीट्रिक टन होगा। उ०प्र० कर्मचारी कल्याण निगम के क्रय केन्द्रों की संख्या 150 तथा कार्यकारी लक्ष्य 04 लाख मीट्रिक टन होगा। पी०सी०एफ० के क्रय केन्द्रों की संख्या 1200 तथा कार्यकारी लक्ष्य 10 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। उ०प्र० कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड (पी०सी०यू०) के क्रय केन्द्रों की संख्या 150 तथा कार्यकारी लक्ष्य 03 लाख मीट्रिक टन होगा। यू०पी० एग्रो के क्रय केन्द्रों की संख्या 150 तथा कार्यकारी लक्ष्य 04 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एन०सी०सी०एफ०) के क्रय केन्द्रों की संख्या 50 तथा कार्यकारी लक्ष्य 01 लाख मीट्रिक टन होगा। नैफेड के क्रय केन्द्रों की संख्या 50 तथा कार्यकारी लक्ष्य 01 लाख मीट्रिक टन होगा। भारतीय खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों की संख्या 100 तथा कार्यकारी लक्ष्य 02 लाख मीट्रिक टन होगा। इसके अतिरिक्त, प्राइवेट प्लेयर्स (भारतीय खाद्य निगम) के क्रय केन्द्रों की संख्या 100 तथा कार्यकारी लक्ष्य 10 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। लखनऊ सम्भाग के जनपद लखीमपुर तथा बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी एवं चित्रकूट मण्डलों में धान क्रय की अवधि 01 अक्टूबर, 2016 से 31 जनवरी 2017 तक निर्धारित की गई है। लखनऊ सम्भाग के जनपद लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर व हरदोई तथा कानपुर, फैजाबाद, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर एवं इलाहाबाद मण्डलों में 1 नवम्बर, 2016 से 28 फरवरी, 2017 तक धान की खरीद होगी। जनपद के अन्दर एजेन्सी वार क्रय केन्द्रों का निर्धारण जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। क्रय केन्द्र प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक खुलेंगे। परन्तु जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्रय केन्द्र के खुलने व बन्द होने के समय में परिवर्तन हेतु अधिकृत होंगे। क्रय केन्द्र रविवार व राजपत्रित अवकाश में बन्द रहेंगे। किसानों से धान की खरीद उनके कृषि संबंधी अभिलेखों अथवा चकबन्दी संबंधी संगत भूलेख के आधार पर की जाएगी। धान क्रय पंजिका में किसान का यथासम्भव मोबाइल/फोन नम्बर भी अंकित किया जाएगा। समस्त एजेन्सियों के क्रय केन्द्रों पर धान की उतराई, छनाई एवं सफाई का खर्च कृषकों से नहीं लिया जाएगा। इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति मण्डी परिषद द्वारा की जाएगी। सभी क्रय एजेन्सियों द्वारा धान के मूल्य का भुगतान आर०टी०जी०एस० के माध्यम से किया जाएगा, किन्तु जहां आर०टी०जी०एस० की सुविधा नहीं होगी, वहां एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/उत्तर-प्रदेश-धान-क्रय-नीति/>